UPKN010010492026

(राष्ट्रीय लोक अदालत)
न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 04, कानपुर नगर।
पीठासीन अधिकारीः निशा श्रीवास्तव, एच.जे.एस. (यू.पी.6206)

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या – 135/2026
वादी–राम प्रसाद पाल, अवर अभियंता

मु०अ०सं० –1170/2025
धारा – 135 विद्युत अधिनियम
थाना – एंटी पावर थेफ्ट, कानपुर नगर।

दिनांकः–14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 से सम्बन्धित है, जिसमें विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा अंतिम आख्या संख्या 1045/2025 दिनांकित 23.06.2025 इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्त मो० जलील अहमद ने विद्युत अधिनियम की धारा–152(1) के अधीन प्रशमन राशि व राजस्व निर्धारण राशि विभाग में जमा कर दी है।

विद्युत अधिनियम में अपराधों को शमन शुल्क व राजस्व शुल्क जमा कराए जाने के उपरान्त शमनीय बनाया गया है। सम्बन्धित खण्ड के अधिशाषी अभियंता द्वारा थानाध्यक्ष एंटी पावर थेफ्ट, कानपुर नगर को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि सम्बन्धित उपभोक्ता/व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण शमन शुल्क एवं राजस्व शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, इसी आधार पर इस प्रकरण में विवेचना के उपरान्त अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अंतिम आख्या संख्या 1045/2025 दिनांकित 23.06.2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(निशा श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 04, कानपुर नगर।
(J.O. Code–UP6206)

Digitally signed by NISHA SRIVASTAVA
Date: 2026.03.14 16:23:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court